

संख्या-2906/15-7-06-16(71)/2006

विषय,

मानु राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

विद्या (7) अनुभाग

संलग्नक दिनांक: 25 जुलाई, 2006

विषय :- ग्राम एकेडमी काशीपुरी कालोनी खोजपुरी फैजाबाद को सीजीपीएलएफ को
नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

नबोवय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह बताने का निर्देश
हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित विद्यालय को सीजीपीएलएफ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं
है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण करना
जानेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रेक्षार्थी
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक
शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित
शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि
पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कांशिल ऑफ दि
इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टीफिकेट इज्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस
परिभाषा परिभाषों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उच्चमाध्यमिक शिक्षा
परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त
हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्खणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम
वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

Self Attested Signature of MANAGER
GRAMMAR ACADEMY
Kaushalpur Colony
Khojapur Faizabad

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकनों में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बढ़ती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(राजू राम)
अनु सचिव।

पृष्ठ- / 15-7-2006 तारीख

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आर्य भारतीय विद्यालय उमरा, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, ग्राम एकेडमी कौशलपुरी कालोनी ओजनपुरी फैजाबाद ।
- 6- चार्ज मुक्त ।

आपका से,

(राजू राम)
अनु सचिव।

Self Attached
Satyendra Kumar

MANAGER
GRAMMAR ACADEMY
Kushalpur Colony
Khanpur Farahat